



न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक-

12016 निगरानी

निग-2277-II/6

नक्टूराम पुत्र मनई राम कुशवाह उम्र 60 वर्ष, व्यवसाय-कृषि, निवासी- ग्राम मारौरा, अहीर, परगना पोहरी, जिला- शिवपुरी (म.प्र.)
.....निगरानीकर्ता

C.
Ajeer Rajhwar
8/7/16

बनाम

- 1- श्रीमती अनीता शर्मा पत्नि श्री सुनील कुमार शर्मा, आयु- 40 वर्ष, व्यवसाय- शासकीय सेविका, निवासी- ग्राम सिरसौद, हाल निवासी- पुरानी रेलवे लाईन, कुशवाह सप्लायर के सामने, विवेकानन्द कॉलोनी, शिवपुरी (म.प्र.)
- 2- मंगल सिंह पुत्र श्री नक्टूराम कुशवाह
- 3- कूंगरराज पुत्र श्री नक्टूराम कुशवाह
- 4- भागचन्द पुत्र श्री नक्टूराम कुशवाह
- 5- शिशुपाल पुत्र श्री नक्टूराम कुशवाह
- 6- पदम पुत्र रामधेन कुशवाह, आयु-30 वर्ष निवासीगण (क्र.2 लगा.6) - ग्राम मारौरा, अहीर, परगना पोहरी, जिला-शिवपुरी (म.प्र.)
.....रिस्पोंडेन्ट्स

राजीव राधुवंगी
कार्यालय
द्वारा आज दि 8-7-16

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-रास्व संहिता विरुद्ध आदेश दिनांक 23.06.2016 जो नायब तहसीलदार वृत्त 2 पोहरी छर्च तहसील पोहरी जिला शिवपुरी म.प्र. ने प्रकरण क्रमांक- 1/15-16/अ-70 में पारित किया, को अपास्त किये जाने बावत!

श्रीमान् महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से आवेदन-पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य-

- 1- यहकि, रिस्पोंडेन्ट क्रमांक- 1 ने निगरानीकर्ता व रिस्पोंडेन्ट

230

R-2277-17/16 - May 21



~~CF 23816~~

3/8/16

आवेदनक आगिठ कमी - खुदोली नदीप नदी,
अना. आगिठ कमी - कठको नदीप खुदोली/
आगिठको कमी खुदोली नदीप
CF. 24/8/16

सदर

पुनर्व्य

आवेदन रग आवेदन आगिठको

m

R 2277-1116 - शिवपुर

को 3 बार पुनः कराई गई।

कोई भी उप. नहीं।

प्रमाण दायम पेशी में

खासि लिया जाता है

प्रमाण दायिम कबला है।

M

~~3-4-11~~



204